राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027

दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 697 / 241 / DAY-NULM / तीन / 2017(SM&ID) दिनांक– 15/05/2018

कार्यालय–ज्ञाप

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत संदर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु Request for Proposal (RFP) सं0–903 / 241 / DAY-NULM / तीन / 2017(SM&ID) दिनांक 23.01.2018 के माध्यम से जारी ई–निविदा से प्राप्त निविदा प्रस्तावों का आर0एफ0पी0 के अनुसार निविदा समिति के द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित संस्थाएं संदर्भ संस्था के रूप में इम्पैनलमेन्ट हेतु अर्ह पायी गयीं :–

क्र.सं.	संस्था का नाम	आवेदित शहर का नाम
1	Samajik Gramin Vikas Sansthan, Shahjahanpur	Shahjahanpur Lakhimpur Sitapur
2	Kashi Samaj Shiksha Vikas Sansthan, Budaun	Sahaswan Ujhani Budaun
3	Samudaik Vikas Samiti, G.B.Nagar	Bulandshaher Ghaziabad G.B.Nagar
4	NPA Educare and Welfare Society, Barelly	Bareilly Shahjahanpur Rampur
5	Shirsti Vikas Awam Anusandhan Sansthan, Allahabad	Allahabad Sitapur Barabanki
6	Utkars Educational and Welfare Society, Lucknow	Lucknow Hardoi Faizabad
7	Manav Sewa Sansthan, Gorakhpur	Gorakhpur Maharajganj Kushinagar
8	Naya Savera Sansthan, Pilibhit	Pilibhit Budaun Baheri-Bareilly
9	Samagra Jan Kalyan Samiti, Varanasi	Varanasi Jaunpur Lucknow
10	Rani Awanti Bai Gramudog Samiti, Kannauj	Chhibramau-Kannauj Mainpuri Auraiya
11	Sri Ganesh Gramin Vikas Shikshan Sansthan, Gonda	Lucknow Allahabad Faizabad
12	Citizen Development Institute, Lucknow	Lucknow Barabanki Unnao
13	Guru Kripa Sewa Sansthan, Unnao	Unnao Hardoi Fatehpur

Request for Proposal (RFP) के प्राविधानों के अनुसार उल्लिखित 13 संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित 60 एवं उससे अधिक अंक प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत "संदर्भ संस्था" के रूप में इम्पैनल्ड किया जाता है।

2. Request for Proposal (RFP) निविदा प्रावधानों के अनुसार परीक्षण में 60 से कम अंक पाये जाने के फलस्वरूप इम्पैनल्ड हेतु अनर्ह पाये जाने के कारण निम्नलिखित संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट निरस्त किया जाता है :—

क्र.सं.	संस्था का नाम
1	Upkar Education Society, Bareilly
2	Srishti Sewa Sansthan, Sant Kabir Nagar
3	Saina Jan Sewa Samiti, Bareilly
4	Star Educational Society, Bareilly

3. प्रस्तर—1 में उल्लिखित इम्पैनलमेन्ट की जाने वाली संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निविदा के सेक्शन—2 बिन्दु सं0—13 के अनुसार इम्पैनल्ड संस्थाओं को आवेदित सभी शहरों मे कार्य का आवंटन किया जाना आवश्यक नहीं होगा। कार्य / शहर का आवंटन मिशन की आवश्यकता के क्रम में मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

4. प्रस्तर—1 में उल्लिखित 13 संस्थाएं जो इम्पैनलमेन्ट हेतु अर्ह हैं एवं इम्पैनल्ड की जा रही हैं, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्थाएं इस कार्यालय—ज्ञाप के साथ संलग्न एम0ओ0ए0 की मॉडल प्रपत्र एवं बैंक गारण्टी प्रपत्र का अध्ययन कर निविदा के प्राविधानों के अनुसार रू0 1.00 लाख की बैंक गारण्टी नियमानुसार तैयार कराते हुए एम0ओ0ए0 की कार्यवाही दिनांक—30.05.2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करें, अन्यथा इम्पैनलमेन्ट स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नियमानुसार ई0एम0डी0 जब्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए संस्थायें स्वयं उत्तरदायी होंगी।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बदायूं, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, रामपुर, बाराबंकी, हरदोई, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, जौनपुर, कन्नौज, मैनपुरी, औरैया, उन्नाव, फतेहपुर उ0प्र0।
4. सम्बन्धित सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक, सी0एम0एम0यू0, डूडा उ0प्र0।
5. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।
6. सम्बिन्धित संदर्भ संस्थओं को ससमय इम्पैनलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु।
7. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

आलेख *(रू0 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर अनुबंध)*

Memorandum of Agreement- MoA (मेमोरेण्डम आफ एग्रीमेंट)

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय पूर्व में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (यू0पी0ए0 डिवीजन) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–F.No. K 14011/1/2013-UPA दिनांक 24.09.2013 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु दीनदयाल अन्त्योदय (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का शुभआरम्भ कर दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त के क्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के आपरेशनल दिशा निर्देश दिनांक 11.12.2014 को जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों हेतु पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को परिवर्तित कर (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारम्भ व्यापक स्तर पर शहरी गरीबों के हितार्थ किया गया है। उ0प्र0 में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1926/69–1–13–14(104) 2013 दिनांक 28.02.2014 के माध्यम से राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0 को नोडल विभाग तथा निदेशक सूडा उ0प्र0 को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को प्रदेश में सुचारू रूप से संचालन हेतु यह अनुबंध प्रपत्र आज दिनांक .... को राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0, 7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, निकट यू0पी0 100, गोमती नगर लखनऊ और संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) (संस्था का नाम एवं पूर्ण पता) .... उ0प्र0 के मध्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत एवं मुख्य रूप से उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (SM&ID) के क्रियान्वयन हेतु निष्पादित किया जाता है।

(DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन निदेशक/मिशन निदेशक द्वारा नामित अधिकारी श्री ....पद...**(प्रथम पक्ष)**

एवं

संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) (संस्था का नाम और पूरा पता) .... स्वयं सेवी संस्था/सरकारी/अर्धसरकारी/प्रा0 लि0 कम्पनी/अन्य संस्थान है, जो सोसाइटीज एक्ट 1860/कम्पनी अधिनियम ....**(अधिनियम का उल्लेख करें)**/अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था/संस्थान है एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 के द्वारा (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत प्रकाशित ई–निविदा (आर0एफ0पी0) संख्या–903/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) दिनांक 23.01.2018 के माध्यम से इम्पैनल्ड की गई संस्था है। संस्था/संस्थान के **श्री** ...., पुत्र **श्री** .... पद .... पूरा पता– .... (प्राधिकृत/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नामित) व्यक्ति ....**(द्वितीय पक्ष)**

राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत उ0प्र0 में चयनित शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन आदि कार्यों हेतु संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु प्रकाशित ई–निविदा (आर0एफ0पी0) संख्या–903/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) RFP for Empanelment of Resource Organization under National Urban Livelihood Mission (NULM), Dated 23.01.2018 **(*संलग्नक–1*)** द्वारा मांगे गये तकनीकी प्रस्तावों के वाह्य संस्था द्वारा मानकों के अनुरूप किये गये मूल्यांकन में अर्ह पायी गई संस्थाओं की इम्पैनलमेन्ट सूची राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–697/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) दिनांक 15.05.2018 **(*संलग्नक–2*)** द्वारा ''इम्पैनल्ड संस्था'' है। राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा आमंत्रित प्रस्ताव के SECTION- 1 में BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT (The functions of the ROs, Payment of ROs, Schedule of Payment, Review of the performance of the ROs & Reporting by the ROs) and SECTION- 3 IMPORTANT INFORMATION TO THE BIDDERS में उल्लिखित (Important Information for the Empanelment के अनुसार Expected outcomes of the engagement with ROs, Principles of partnerships with ROs, Selection criteria for ROs, Scope of work of ROs and Monitoring & Evaluation) में **संदर्भ संस्था के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वाहन हेतु गाइडलाइन एवं संशोधित गाइडलाइन में उल्लिखित विवरण/मानको के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0 के मध्य उल्लिखित तिथि से 03 (वर्षों) हेतु आपसी सहमति के आधार पर निम्नवत शर्तो के आधार पर अनुबंध किया जाता है।**

(क) **सन्दर्भ संस्था का कार्य क्षेत्र**

यह अनुबंध राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन आदि कार्यो के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को इम्पैनलमेन्ट किये जाने हेतु निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–697/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) दिनांक 15.05.2018 ***(संलग्नक–2)*** के अनुक्रम में किया जा रहा। संदर्भ संस्था को भविष्य मे निर्गत किये जाने वाले कार्यादेश में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) **प्रथम पक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व :**

1. (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन आदि कार्यो के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को भविष्य मे निर्गत किये जाने वाले कार्यादेश में उल्लिखित शहरों में अपेक्षित कार्य शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/डूडा के माध्यम से प्रदान किया जाना।

2. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के इम्पैनल्ड हेतु जारी की गयी ई–निविदा संख्या–903/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) RFP for Empanelment of Resource Organization under National Urban Livelihood Mission (NULM), Dated 23.01.2018 ***(संलग्नक–1)*** द्वारा मांगे गये तकनीकी प्रस्तावों के वाहय संस्था द्वारा मानकों के अनुरूप किये गये मूल्यांकन में अर्ह पायी गई संस्थाओं की इम्पैनलमेन्ट सूची राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–697/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) दिनांक 15.05.2018 ***(संलग्नक–2)*** द्वारा "इम्पैनल्ड संस्था" है। राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा आमंत्रित प्रस्ताव के SECTION- 1 में BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT (The functions of the ROs, Payment of ROs, Schedule of Payment, Review of the performance of the ROs & Reporting by the ROs) and SECTION- 3 IMPORTANT INFORMATION TO THE BIDDERS में उल्लिखित (Important Information for the Empanelment के अनुसार Expected outcomes of the engagement with ROs, Principles of partnerships with ROs, Selection criteria for ROs, Scope of work of ROs and Monitoring & Evaluation) में संदर्भ संस्था के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के अनुसार निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कार्यो के सम्पादन हेतु सन्दर्भ संस्था को मार्ग निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना।

3. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास हेतु जारी दिशानिर्देश ***(संलग्नक–3)*** एवं समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों को सन्दर्भ संस्था को उपलब्ध कराते हुए तत्क्रम में कार्यों का संपादन कराना।

4. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित कराना, अनुश्रवण, देखरेख एवं प्रगति की समीक्षा शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से कराना तथा समय-समय पर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराना।

5. सन्दर्भ संस्था को गाइडलाइन एवं आर0एफ0पी0 प्राविधानों के अनुसार शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को भुगतान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत करना।

6. सन्दर्भ संस्था को इस MoA के प्रस्तर 'घ' में उल्लिखित मानको के अनुसार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से भुगतान कराना।

7. सम्बन्धित शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई/राज्य नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से मासिक प्रगति आख्या (साफ्ट व हार्ड प्रतियों में) प्राप्त कर भारत सरकार को भेजना/भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रगति के आंकड़े साप्ताहिक आधार पर सी0ए0मए0यू0, डूडा के माध्यम से अपलोड कराना।

8. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/राज्य नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से सन्दर्भ संस्थाओं की सन्तोष जनक रिपोर्ट प्राप्त न होने पर नियमानुसार (इस MoA के प्रस्तर 'च' सामान्य शर्तों में उल्लिखितानुसार) कार्यवाही करना।

(ग) **<u>द्वितीय पक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व :</u>**

1. (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत शहरों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन क्षमता सम्वर्धन आदि कार्यो को सम्पादन करना।

2. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के इम्पैनल्ड हेतु जारी की गयी ई-निविदा संख्या-903/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) RFP for Empanelment of Resource Organization under National Urban Livelihood Mission (NULM), Dated 23.01.2018 (***संलग्नक-1***) द्वारा मांगे गये तकनीकी प्रस्तावों के वाह्य संस्था द्वारा मानकों के अनुरूप किये गये मूल्यांकन में अर्ह पायी गई संस्थाओं की इम्पैनलमेन्ट सूची राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-697/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) दिनांक 15.05.2018 (***संलग्नक-2***) द्वारा "इम्पैनल्ड संस्था" है। राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा आमंत्रित प्रस्ताव के SECTION- 1 में BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT (The functions of the ROs, Payment of ROs, Schedule of Payment, Review of the performance of the ROs & Reporting by the ROs) and SECTION- 3 IMPORTANT INFORMATION TO THE BIDDERS में उल्लिखित (Important Information for the Empanelment के अनुसार Expected outcomes of the engagement with ROs, Principles of partnerships with ROs, Selection criteria for ROs, Scope of work of ROs and Monitoring & Evaluation) में संदर्भ संस्था के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

3. राज्य शहरी आजीविका मिशन, (सूडा) उ0प्र0 द्वारा संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को इम्पैनलमेन्ट किये जाने हेतु निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-697/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) दिनांक 15.05.2018 (***संलग्नक-2***) के अनुक्रम में संदर्भ संस्था को भविष्य मे निर्गत किये जाने वाले कार्यादेश में उल्लिखित शहर में गुणवत्ता आधारित कार्यों का समयबद्ध सम्पादन करना।

4. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास हेतु जारी दिशानिर्देश एवं संशोधित दिशानिर्देश के साथ–साथ समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले निर्देश के साथ ही राज्य सरकार, राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं निर्गत किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्यो का सम्पादन करना।
5. ऑवंटित शहर में विभिन्न योजनान्तर्गत (स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि) गठित स्वयं सहायता समूहों की मैपिंग करना।
6. मैपिंग का मुख्य उद्देश्य होगा कि वर्तमान में मौजूद स्वयं सहायता समूहों / फेडरेशन की गुणात्मक स्थिति का आंकलन कर उन्हें सुदृढ़ किया जाय, तथा वर्तमान में मौजूद स्वयं सहायता समूहों हेतु आवश्यकता आधारित अन्तः क्रिया का निर्धारण कर लक्ष्यों के सापेक्ष कार्ययोजना तैयार कर कार्य करना।
7. आवंटित शहर / क्षेत्र विशेष में जहां शहरी गरीब गतिशील नहीं किये गये हैं उन क्षेत्रों / (पाकेट) का चिन्हांकन करते हुए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना। ।
8. शहर / क्षेत्र विशेष में कम्पैक्ट भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण कर कार्य करना।
9. शहरी गरीबों को गतिशील करते हुए समरूप (Affinity) समूहों एवं उनके संघो का गुणवत्तापरक गठन सहभागी प्रक्रिया के आधार पर करना।
10. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा शहरों / आवंटित शहरों / क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह एवं उनके संघों का गठन एवं क्षमता सम्वर्धन कर बैंकों मे खाता खुलने से दो वर्षो तक हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देना तथा (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अन्य घटकों में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत् सहयोग करना।
11. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा स्वयं सहायता समूहों के (सभी सदस्यों का के0वाई0सी0, आधार कार्ड की फोटो प्रति सहित) एवं उनके संघों का विस्तृत विवरण हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों में तैयार कर नियमित अपडेट करना तथा समय–समय पर मांगी गई सूचना, सी.एम.एम.यू. / डूडा / निकाय एवं एस.एम.एम.यू., सूडा को उपलब्ध कराना।
12. मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस में हार्ड एवं साफ्ट प्रति में शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.) / जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को उपलब्ध कराना।
13. गुणवत्ता आधारित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों के गठन हेतु सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्तियों Community Resource Person को नामित करना / रखना तथा सी0आर0पी0 रणनीति पर एस0एच0जी0 गठन का कार्य करना।
14. स्वयं सहायता समूहों का गठन गाइडलाइन के अनुसार करना तथा गाइडलाइन के एनेक्जर– I में उपलब्ध मॉडल एस0एच.जी0 रूल्स एवं रेग्यूलेशन **(संलग्नक –4)** तथा एनेक्जर– II में उपलब्ध मॉडल नियमावली **(संलग्नक–5)** के अनुसार गठित किये जाने वाले सभी समूहों के रूल्स एवं रेग्यूलेशन तथा नियमावली बनवाना।
15. स्वयं सहायता समूहों का गठन चेक लिस्ट गाइडलाइन के एनेक्जर–III **(संलग्नक–6)** एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा, उ0प्र0 के निर्गत पत्र सं0–705 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001(SM&ID) दिनांक 25.05.2015 **(संलग्नक–7)** एवं संशोधित गाइडलाइन (संलग्नक–9) के अनुसार सुनिश्चित कराना।
16. स्वयं सहायता समूहों का गठन आदि सभी कार्यों के आवंटित लक्ष्या के सापेक्ष कार्यो के निष्पादन हेतु निर्धारित अन्तरिम समय रेखा (टेन्टेटिव टाइमलाइन) का निर्धारण कर तदानुसार कार्य करना।

17. निकाय / शहर मिशन प्रबन्धन इकाई / जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा को नियमित किये गये कार्यों की नियमित रिपोर्टिंग करना।

18. प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन तथा एक्सपोजर विजिट के माध्यम से समूहों एवं संघों को शशक्त बनाना ताकि सदस्यों के आजीविका संवर्धन में मदद मिल सके तथा सामाजिक रूप से क्रियाशील हो सके तथा सामाजिक आर्थिक विकास परिलक्षित हो सके।

19. स्वयं सहायता समूहों के गठन के उपरान्त स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित किये जाने की अनिवार्यता का अनुपालन सुनिश्चित करना। उक्त के साथ ही सी0आर0पी0 बुक कीपर्स को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण केवल स्वयं सहायता समूह के कुछ प्रतिनिधियों को नहीं दिया जायेगा, बल्कि सभी सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा आदि पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाना अपरिहार्य होगा। प्रशिक्षण भारत सरकार की संशोधित दिशा निर्देश (*संलग्नक–8*) मे उपलब्ध माड्यूल्स के अनुसार किया जायेगा।

20. स्वयं सहायता समूहों **को न्यूनतम 15 माह का घनिष्ठ सहयोग देना जिसमें** स्वयं सहायता समूहों का गठन, स्वयं सहायता समूहों बैठकों में नियमित उपस्थित रहने की अनिवार्यता, 2 वर्ष पूर्व गठित समूहों के सदस्यों के माध्यम से क्रास लर्निंग कराना, बैंकों तथा सरकारी विभागों के अधिकारियों की पहुंच सुनिश्चित कराना, NULM के अन्तर्गत लाभ दिलाना एवं सामुदायिक आयोजकों को स्वयं सहायता समूहों के मूल्यांकन में सहयोग देना (गठन के एक माह के भीतर), बैंको मे खाता खुलवाना / सम्बद्धता सुनिश्चित करना तथा समूहों का बैंक से लिंकेज कराकर आयसृजनात्मक कार्य प्रारम्भ कराना। रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त किये जाने हेतु समूहों को आय सृजनात्मक कार्य से सम्बद्धता हेतु कार्ययोजना तैयार करा कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना।

21. स्वयं सहायता समूहों **को 15–24 माहों के मध्य गठित स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार सन्तोषजनक कार्यों में निपुण बनाकर** सक्रिय सहयोग को धीरे– धीरे कम करना। अनुश्रवण में तेजी लाना तथा 24 माह के अन्त में स्थाई रूप से गुणवत्तापरक कार्यों के मापदण्ड हेतु गहन मूल्यांकन मे सामुदायिक आयोजक / शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.) / जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) का सहयोग प्रदान करना।

22. Area Level Federation (ALF)/City Level Federation (CLF) का विधिवत गठन, क्षमता संवर्धन एवं पंजीकरण आदि कार्यवाही सुनिश्चित करना।

23. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के यू0आई0डी0 नामांकन एवं सामान्य बचत खाता खुलवाना, तथा ऋणु सम्बन्धी परामर्श देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ हेतु समन्वयन कराना।

24. एरिया लेवल फेडरेशन्स का गठन एवं पंजीकरण गाइडलाइन के अनुसार करा कर नियमित बैठकों के माध्यम से फेडरेशन्स को सशक्त करना तथा आय सृजनात्मक कार्य हेतु कार्ययोजना तैयार करा कर कार्य कराना एवं रिवाल्विंग फण्ड हेतु आवेदन के साथ कार्य योजना प्रस्तुत करना।

25. स्वयं सहायता समूहों एवं एरिया लेवल फेडरेशन्स को आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्धता हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उत्पादन / आय सृजनात्मक कार्यों के चयन मे सहयोग करना तथा विशेष प्रयास कर जनपद हेतु निर्धारित **"एक जनपद एक उत्पाद"** से भी सम्बद्धता कराते हुए कार्य कराना।

(घ) **संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को भुगतान** –

संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के इम्पैनल्ड हेतु जारी की गयी ई–निविदा संख्या–903/241/DAY-NULM/तीन/2017(SM&ID) RFP for Empanelment of Resource Organization under Deendayal Antyoday Yojna - National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM), Dated 23.01.2018 (*संलग्नक–1*) के SECTION: 1- BACK GROUND INFORMATION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT के बिन्दु सं0–5 एवं 6 (Payment to ROs, Schedule of Payment) में संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को निर्धारित कार्यो हेतु भुगतान रू0 10,000/– (दस हजार रूपया मात्र) की दर से 2 वर्षों हेतु हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट जिसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन, सामुदायिक गतिशीलता, गठन व्यय, क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों को लेखा एवं अन्य विभिन्न अभिलेखों हेतु रजिस्टर, शैक्षिक सामग्री, मुहर, आजीविका एवं लघु ऋण हेतु तकनीकी सहायता आदि कार्यों, स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्रीय एवं शहरी स्तरीय फेडरेशन का गठन, पंजीकरण एवं प्रशिक्षण के साथ ही अन्य सभी उपघटकों में सहयोग जैसे– वित्तीय समावेशन हेतु जागरूकता, शहरी आजीविका केन्द्र में सहयोग आदि कार्यों हेतु निम्न Schedule of Payment के अनुसार शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा किया जायेगा :–

Sl. No.	Deliverables	Percentage of Payment
1	• Mobilising the poor on the basis of affinity groups by proper selection of members and formation of SHGs as per the model SHG rules and regulations in the light of NULM guideline. • Within a month of formation of the SHG and all groups that are not linked with bank-account, should be helped to open SHG bank accounts. • Ist installment will be released after receipt of report from ROs containing the list of SHGs bank-account number. • Revival of old SHGs, Formation of new SHGs and Bank Account opening, • Identification of book keeper@1 per SHG from within the SHG members. • Basic orientation to book keeper for recording the minutes of meeting • Identification of active women @2 per slum • Opening of saving bank account	30 %
2	• Building the capacity of SHGs by organizing training of all the members to further support livelihoods of their members and also facilitate social action. • Trainings to be conducted in basic issues such as (a) the SHG concept including savings, how a meeting of SHG is conducted, responsibilities of group members, federations, etc.; (b) book-keeping and accounting, fund management, building bank and credit linkages; (c) communication, decision making, conflict resolution, self-assessment, how to make bankable proposal for sustainable livelihood etc.; and (d) accessing government benefits under NULM. • And on successful completion of 6 (six) months of the SHGs after the opening of their Bank Accounts. • IInd installment will be released after receipt of completion report of SHGs training from Ros. Basic training to SHG members (Meeting process, SHG fund management, social, book keeping, role of office bearers etc.) • Four days training to book keepers (Meeting proceeding register, individual passbook) • 3 days training to Active Women (to develop them as Internal CRPs) • First Grading of SHgs and submission of application for revolving fund to SHGs,	20 %

3	• Handholding support for at least 15 months: Once the groups are formed, ROs will be required to attend their meetings on a regular basis, bring in bankers, government officials from various departments, and members from SHGs established for a period of at least 2 years (for cross learning) to interact with the SHGs (at the SHG and federation-levels). At this stage, ROs will also organise capacity building and encourage members of the SHG to access benefits under NULM and access bank link for entrepreneurship. The ROs will assist the Community Organiser in the evaluation of the performance of SHGs being supported by them. • IIIrd installment will be released after receipt of satisfactory report of handholding support to SHGs after 15 months. • Handholding support to SHGs (training on leadership, conflict resolution, concept of ALFs) • 2nd round training to book keepers (on Monthly progress report of SHG, loan register and cash book) • On the job training to Active women/Internal CRPs • Documentation for bank linkage, grading for bank linkage submission of loan application to banks Formation of ALF.	30 %
4	• Withdrawal of support between 15-24 months: In this period, ROs will be expected to withdraw active support from those SHGs that are formed and performing satisfactorily. At this stage the level of monitoring will increase and at the end of the 24 months of support, a critical evaluation of the supported SHGs in collaboration with the Community Organiser of the ULB must be undertaken to determine whether the SHG may be deemed self-sustaining. Here ROs will encourage SHGs to federate into ALFs and work closely with ALFs and CLFs to build their capacity to take over the handholding function after the RO fully withdraws support. • At least 75% formed SHG must be federated in to ALF & CLF • Last & final installment will be released after receipt of final report of the SHGs sustenance & proper functioning of ALF & CLF as per guideline from ROs & final recommendation of CMMU/ULB/ DUDA/SMMU. • Training of Internal CRPs for ALF management Action Plan for Internal CRPs for ALF management Gap analysis and skill training to SHG members and book keepers. • Training on different components of DAY-NULM and other schemes and programmes for urban poor and role Community Institutions in convergence with schemes.	20 %

(ड़) **सन्दर्भ संस्थाओं से अपेक्षित परिणाम**

1. आवंटित शहर/शहर के क्षेत्र विशेष के सभी शहरी गरीब परिवारों से कम से कम 1 सदस्य (वरीयता क्रम में महिला) को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना।
2. रिवॉल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूहों में अनिवार्य रूप से 70% सदस्यों के शहरी गरीब होने के मानक का पूर्ण होना।
3. सन्दर्भ संस्थाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर क्षमता संवर्धन सुनिश्चित करना जैसे– स्वयं सहायता समूह अवधारणा, बचत, नियमित बैठक, लेखा–जोखा का रखरखाव, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, विवादों का निपटारा, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, अभिलेखीकरण, बैंक लिंकेजेज, वित्तीय प्रबन्धन, स्व मूल्यांकन आदि।
4. सभी समूहों का बैंको में खाता खुलवाना तथा बचत धनराशि खाते में जमा कराना तथा बचत खाते से आन्तरिक लेन–देन/आय सृजनात्मक कार्यो को कराना।

5. सभी समूहों को ऋण सुविधा हेतु बैंको से सम्बद्धता (बैंक लिंकेज सी0सी0एल0) कराना।

6. सभी गठित नये समूहों को रिवाल्विंग फण्ड की सहायता (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक (SM&ID) की गाइडलाइन उपलब्ध Annexure-V Application for Revolving Fund Support to SHG Under DAY-NULM **(संलग्नक–9)** के अनुसार तैयार कराकर दिलाना।

7. रिवाल्विंग फण्ड हेतु ए0एल0एफ0 से ग्रेडिंग कराना।

8. स्वयं सहायता समूहों का क्षेत्र एवं शहर स्तरीय फेडरेशन गाइडलाइन के अनुसार बनवाना तथा पंजीकृत कराना।

9. Area Level Federation (ALF)/City Level Federation (CLF) के सभी सदस्यों को फेडरेशन की अवधारणा, बचत का महत्व, बैठक आयोजन विधि, सदस्यों के उत्तरदायित्व, अभिलेखीकरण, लेखा जोखा, वित्तीय प्रबंधन, बैंको से बचत एवं ऋण हेतु सम्बद्धता, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, विवादों का निपटारा, स्वयं मूल्यांकन, तथा सरकारी योजनाओं तक पहुंच हेतु समन्वयन की रणनीति पर क्षमता संवर्धन करते हुए प्रशिक्षित करना।

10. सभी गठित Area Level Federation (ALF) एवं City Level Federation (CLF) का विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण कराना।

11. Area Level Federation (ALF) को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक से रिवाल्विंग फण्ड गाइडलाइन के Annexure-VI Application for Revolving Fund Support to Area Level Federation (ALF) Under NULM **(संलग्नक–10)** के अनुसार तैयार करवाकर दिलाना।

12. (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्य सभी उपघटकों में सहयोग उपरान्त गुणात्मक प्रगति परिलक्षित कराना तथा अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध कराना।

13. संदर्भ संस्था द्वारा गठित किये जाने वाले स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स एवं शहर स्तरीय फेडरेशन तथा अन्य कार्यो की प्रगति नियमित रूप से सी0एम0एम0यू0, डूडा के माध्यम से भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल एन0यू0एल0एम0 पर अपलोड कराना/कराने हेतु सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा अपेक्षित सूचना ससमय उपलब्ध कराना।

(च) <u>सामान्य शर्ते</u>

1. उपरोक्त शर्तो/कार्यों के उल्लंघन एवं पूर्ण नही करने की स्थिति में संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर धनराशि रू0 1,00,000/– (रूपया एक लाख मात्र) दिनांक–.................. के माध्यम से जमा की गयी बैंक गारण्टी **(संलग्नक–11)** राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0) द्वारा जब्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

2. संदर्भ संस्था के संतोषजनक कार्य न पाये जाने पर मिशन निदेशक को अधिकार होगा कि उक्त संस्था को आवंटित कार्यों को निरस्त कर अन्य संस्था को आवंटित कर दिया जाये।

3. भुगतान हेतु उल्लिखित शर्तो/कार्यों के अनुसार ही संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) को भुगतान किया जायेगा। संतोषजनक कार्य न पाये जाने पर भुगतान की गयी धनराशि मय ब्याज व आंकलित हर्जाने के साथ नियमानुसार वसूलने का अधिकार मिशन निदेशक को होगा।

4. संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) द्वारा सामाजिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके संघों के गठन के कार्यो को फ्रेन्चाईजी व सबलेटिंग नहीं किया जायेगा।
5. In case of any dispute between Ist & IInd party the dispute would be referred to President SUDA/ Principal Secretary Urban Employment and Poverty Alleviation Department, Govt. of U.P or his nominees has the sole Arbitration under the provision of Conciliation and Arbitration Act 1996.
6. टेण्डर प्राविधानों के अनुसार संदर्भ संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति के आधार पर यह अनुबन्ध मिशन की आवश्यकतानुसार आगामी दो वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है। मिशन की आवश्यकता के अनुसार अनुबंध बढ़ाने का सम्मपूर्ण अधिकार अन्तिम रूप से मिशन निदेशक, सूडा उ0प्र0 का होगा।
7. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को अनुबंध में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन करना होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

सलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रथम पक्ष

गवाह–1
हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
पूरा पता :

गवाह–2
हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
पूरा पता :

अनुबधकर्ता
हस्ताक्षर :
(मोहर सहित)
पूरा नाम :
पद :
पूरा पता : राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0), 7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट यू0पी0 100, गोमती नगर लखनऊ।

द्वितीय पक्ष

गवाह–1
हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
पूरा पता :

गवाह–2
हस्ताक्षर :
पूरा नाम :
पूरा पता :

अनुबधकर्ता
हस्ताक्षर :
(मोहर सहित)
पूरा नाम :
पद :
संदर्भ संस्था (रिसोर्स आर्गनाइजेशन) का नाम :...
....
....
....
पूरा पता :...
....
....
....

(Empanelment Guarantee form on Rs. 100/- of non-judicial stamp paper)

PERFORMANCE GUARANTEE FORM FOR RESOURCE ORGANIZATION OF SOCIAL MOBILIZATION & INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (SM&ID) UNDER DAY- NATIONAL URBAN LIVELYHOOD MISSION (NULM) – UTTAR PRADESH

Section-2 Instruction to Bidder, Piont No. 4 Performance Guarantee under Request of Proposal (RFP) Page No.-12 in the form of Bank Guarantee.

To
Mission Director,
State Urban Livelihood Mission (SULM) SUDA
Uttar Pradesh

WHEREAS:...
...(Name of the Resource Organization) hereinafter called the "R.O has undertaken, in pursuance of MoA dated....................2018 to provide supports towards formation of SHG's and their Federations etc., under Social Mobilization & Institutional Development (SM&ID) as well as other component of Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) in the allotted cities/Areas of city named .... (Name of Selected Cities) in the prescribed format circulated through your office order No.-697/241/DAY-NULM/ Teen/2017(SM&ID) Dated 15.05.2018, hereinafter called the "Resource Organization.

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said MoA that the Resource Organization shall furnish you with a bank Guarantee by a Nationalized Bank for the sum specified therein as security for providing the quality formation of SHG and their Federation as well as other Performance obligations in accordance with the MoA.
AND WHEREAS we have agreed to provide the Bank Guarantee on behalf of Resource Organization.

THEREFORE WE hereby affirm that we are Guarantors and responsible to you, on behalf of the R.O. up to a total of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac only) and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the Resource Organization to be in default under the MoA and without cavil or argument, any sum or sums within the limit of Rs...........................(Amount of Guarantee) as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein.
This guarantee is valid for 3 years from the date of singing of MoA. (A Singed Copy of Mou will be provided by the ROs) the BG is issued ....day of the month.............................year.................and it will be renewable on your demand.

Signature and Seal of Guarantors
....
....
Date...................
Address.......................................
....
....